

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी दतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नदसे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

पञ्जाब सिविल एंग्लिश कौलस राज्य डिजाइन अथॉरिटी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 802 दिनांक 09/12/2020

मार्थिया श्रीमती उषा अग्रवाल W/O श्री सुशील अग्रवाल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 12000/- मात्र

जरिये रसीद संख्या 7062/4385, 4386

दिनांक 09/12/2020 को जमा करा दी हैं ।

P.No: 21 (आय) सेक्टर 3
मसुरिया सेक्टर 04 शाखी नगर

9/12/20

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

Bansal

9/12/20

941324765